14.9.23

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि प्रकरण मे प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही करना चाहते है। एव प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। तथा प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। न्याय हित मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एव प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। दिनांक 22.08.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:52 IST
Reason: SelfAttested